

सेवा में,

क्षेत्रपाल

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

॥ संलग्नक में उल्लिखित ॥

सम्बन्धित समस्त मुख्य विकास अधिकारी/

अधिसूचनी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

उत्तर प्रदेश ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन
विविधीकरण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति ॥ प्रथम किश्त ॥

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 543/नि0शा0 दिनांक 01-11-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जल प्लावित / निष्प्रयोज्य भूमि को आवश्यकतानुसार मत्स्य पालन योग्य तालाब में परिवर्तित करने के लिये जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित धनराशि रूपरा 250.00 लाख की 50% ॥ प्रथम किश्त ॥ अर्थात् रूपरा 125.00 लाख ॥ रूपरा एक करोड़ पचीस लाख ॥ मात्र की धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा गाइड लाइन्स के अधीन व्यय किया जायेगा। तथा स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरित कर किसी बैंक/पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति दिनांक 15-03-2013 तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपरोक्त धनराशि के संलग्नक में उल्लिखित जनपदों की प्राचीन झीलों को सुधार कर झीलों का विकास मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से किया जायेगा। यह परियोजना छोटे जल प्लावित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी। श्रीराम मनोहर लोहिया समग्र विकास ग्राम में चयनित ग्रामों में उपलब्ध जल प्लावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार दिया जायेगा, सुधारोपरान्त यह तालाब शासन की प्राथमिकताओं के

.....2.....



अनुसूचित जाति लाभार्थियों को अर्जित पर तत्काल पालन आदि कराया जायेगा।
रुपार पर व्यवसायिक द्वारा निर्धारित गान में अध्यापक, स्था. के
आगमन के अनुसार रद्द कराया जायेगा। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ स्थान
अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी प्रकार की अनिश्चितता
अवांछनीय होगी।

3- उपरोक्त होने वाला व्यव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान
संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-महली पालन-आयोजनागत-0101-अन्तर्देशीय
महली पालन; 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0406-जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन
विधि विधीकरण; 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय रूप संख्या: सी-
1-1515/दस-2012-231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार
जारी दिये जा रहे हैं।

संलग्नक-उक्तवत् ।

भवदीय,



क्षेत्रपाल
उप सचिव ।

संख्या: 2455/1/सत्रह-मो-2012 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनु-1/नियोजन
अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

कार्यालय - निदेशक मत्स्य - 3090- लखनऊ ।

पत्रांक 519 निशाओ/कै0नि0म0/2012 दिनांक 26.11.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. संयुक्त निदेशक मत्स्य, मुख्यालय ।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्यालय ।
3. प्रशासनिक अधिकारी, लेखा शाखा एवं प्रभारी नियोजन शाखा, मुख्यालय ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य, 3090, लखनऊ ।
5. सम्बन्धित समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

क्षेत्रपाल
उप सचिव ।


डी०के०सिंह
निदेशक मत्स्य, 3090, लखनऊ ।

का संलग्नक ।

क्र०सं०	मण्डल	जनपद	आच्छादित किये जाने वाले जलक्षेत्र हे०में	आवटन हेतु कुल धनराशि रु० लाख में
1	2	3	4	5
1-	आगरा मण्डल	1- फिरोजाबाद	1.000	1.000
		2- मैनपुरी	1.000	1.000
		3- मथुरा	1.000	1.000
2-	अलीगढ़ मण्डल	4- अलीगढ़	1.000	1.000
		5- एटा	0.500	0.500
3-	आजमगढ़ मण्डल	6- आजमगढ़	1.000	1.000
3-		7- मऊ	1.000	1.000
		8- बलिया	2.500	2.500
4-	इलाहाबाद मण्डल	9- इलाहाबाद	2.500	2.500
		10- प्रतापगढ़	2.500	2.500
5-	कानपुर मण्डल	11- कानपुर देहात	1.000	1.000
		12- इटावा	1.000	1.000
6-	गोरखपुर मण्डल	13- गोरखपुर	2.500	2.500
		14- महाराजगंज	2.500	2.500
		15- देवरिया	1.500	1.500
		16- कुशीनगर	10.000	10.000
7-	चित्रकूटधाम मण्डल	17- महोबा	0.500	0.500
8-	झाँसी मण्डल	18- झाँसी	2.000	2.000
		19- जालौन	1.000	1.000
9-	देवीपाटन मण्डल	20- गोण्डा	3.000	3.000
		21- बलरामपुर	3.000	3.000
		22. बहराइच	4.000	4.000
		23- श्रावस्ती	3.000	3.000
10-	फैजाबाद मण्डल	24- फैजाबाद	2.500	2.500
		25- आबेडकरनगर	1.000	1.000
		26- सुल्तानपुर	2.500	2.500
		27- बाराबंकी	2.500	2.500
11-	बरेली मण्डल	28- बरेली	5.000	5.000
		29- बदायूँ	4.000	4.000
		30- शाहजहाँपुर	5.000	5.000
		31- पीलीभीत	5.000	5.000

1	2	3	4	5
12-	बस्ती मण्डल	32- संतकबी रनगर	7.500	7.500
		33- सिद्धार्थनगर	10.000	10.500
13-	लखनऊ मण्डल	34- रायबरेली	7.500	7.500
		35- सीतापुर	3.500	3.500
		36- हरदोई	2.500	2.500
		37- लखीमपुर खीरी	5.000	5.000
14-	वाराणसी मण्डल	38- चन्दौली	2.500	2.500
		39- गाजीपुर	5.000	5.000
		40- जौनपुर	5.000	5.000
कुल योग:			125.000	125.00

॥ कुल रूपया एक करोड़ पचीस लाख मात्र ॥


॥ क्षेत्रपाल ॥
उप सचिव ।